न्यायालय तहसीलदार(राजस्व) बीकानेर

मिसल नं0:– •५/ 19 निर्णय दिनांक: 30.10.2019

अनवान:– स्टेट जरिये प0ह0 भरूखीरा **बनाम** आसूराम पुत्र श्री प्रेमसुख जाति मेघवाल निवासी भरूपावा

निर्णय

आज पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का भरूखीरा ने रिपोर्ट (पी 14) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि संवत् 2076 में गैर सायल आसूराम पुत्र श्री प्रेमसुख जाति मेघवाल निवासी भरूपावा ने चक 1 डीएचएम के मु0 नं0 229 / 17 के तादादी 24 बीघा, मु0नं0 229 / 18 ता0 4 बीघा तथा मु0नं0 229 / 25 ता0 10 बीघा कुल तादादी 38 बीघा क्षेत्रफल में नाजायज काश्त कर राजकीय अराजीराज भूमि पर अतिक्रमण किया है। संबंधित गैर सायल को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा–91 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया। जिस पर गैर सायल न तो उपस्थित हुआ तथा न ही गैर सायल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत किया गया। जिससे साबित होता है कि अतिक्रमी द्वारा सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किया गया है।

गैर सायल श्री आसूराम पुत्र श्री प्रेमसुख जाति मेघवाल निवासी भरूपावा ने चक 1 डीएचएम के मु0 नं0 229 / 17 के तादादी 24 बीघा, मु0नं0 229 / 18 ता0 4 बीघा तथा मु0नं0 229 / 25 ता0 10 बीघा कुल तादादी 38 बीघा भूमि में अतिचार करने पर राजस्थान भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा–91 के प्रावधानों के अनुसार श्री आसूराम पुत्र श्री प्रेमसुख जाति मेघवाल को अतिक्रमी घोषित किया जाता है एवं 38 बीघा पर भू–राजस्व की दर 0.2529 रू0 प्रति बीघा से 50 गुणा कुल राशि 481 रू0 का तावान आरोपित किया जाता है । अतिचारी को मौके से बेदखल कर खडी / पडी फसल को कुर्क कर फसल नीलामी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त जालवाली तथा पटवारी प0ह0 भरूखीरा को आदेश दिया जाता है। अतिक्रमी को राजकीय अराजीराज भूमि से बेदखल करने तथा कब्जा बहक सरकार लेने हेतु निरीक्षक / हल्का पटवारी को लिखा जावे तथा तावान वसूली बाबत् पटवारी हल्का एवं मांग कायमी के लिये टी.आर.ए. शाखा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.10.19 को खुली अदालत में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम की जावे।

तहसीलदार(राजस्व)
बीकानेर

Scanned by CamScanner